न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
5.9.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 18.9.23 को पेश हो।	
18/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 29.9.23 को पेश हो।	
29.9.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 5.10.23 को पेश हो।	
5/10/23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 11.10.23 को पेश हो।	
11.10.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र 7.2. मे वकील पक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि खसरा नं. 43/255 जो राजस्व नक्शे में तरमीम हो रही है किन्तु ख० नं. 43/256 का जमाबंदी मे तो अंकन हो चुका है लेकिन [illegible] नक्शे मे तरमीम नहीं होने [illegible] की इस बात का फायदा उठाकर [illegible]गण नं. 1 से 3 जबरन [illegible] 43/256 पर कब्जा कर मकान बनाने की धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.11.08 16:10:19 IST
Reason: SelfAttested

(राज0)
नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रत्यार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 56, 217 पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है तथा प्रत्यार्थीगण ने अपने खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर कॉलोनी का निर्माण करवा रहे है जो मौके पर स्थित रास्ते से 40 फिट जगह छोड़कर है। अत: प्रत्यार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण को प्रत्यार्थीगण के आवागमन मे बाधा उत्पन्न नही करने की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। बहस मे वकील उभयपक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र मी-चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजी खं. संख्या 43/255 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम बीजन्ता पटवार मण्डल कालामाल की भूमि के सम्बन्ध में [illegible] मूलवाद मौका एवं रिकार्ड [illegible] यथास्थिति बनाए रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा से उभय-पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है। खसरा नं. 43/256 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम बीजन्ता की भूमि की तरमीम होना शेष है। अत: न्यायालय इस खसरा नम्बर पर निषेधाज्ञा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.11.08 16:10:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (रा...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी हुआ
	करना उचित नही समझता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.11.08 16:10:19 IST
Reason: SelfAttested